अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. रतनलाल पुत्र रामप्रताप 2. कालूराम पुत्र रामप्रताप 3. तेजमल पुत्र हणुता 4. परमानन्द पुत्र रामकिशोर 5. रामफूल पुत्र रामकिशोर 6. दिनेश पुत्र रामकिशोर 7. पार्वती पत्नि रामकिशोर 8. जगदीश पुत्र रघुनाथ 9. श्रीबक्श पुत्र रघुनाथ 10. हनुमान पुत्र रघुनाथ 11. कैलाश पुत्र रघुनाथ(मृतक दौराने दावा) 11/1 रामवतार पुत्र स्व. कैलाश 11/2 अजय पुत्र स्व. कैलाश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गोपी 11/3 मु. गोपी पत्नि स्व. कैलाश 11/4 सीता पुत्री स्व. कैलाश समस्त जाति मीणा निवासी झर ढाणी धोलकी वाली, तह. बस्सी। 11/5 सन्ती पुत्री स्व. कैलाश पत्नि रामबाबू 11/6 गीता पुत्री स्व. कैलाश पत्नि रामचन्द्र समस्त जाति मीणा निवासी दीपपुरा तह. जमवारामगढ जिला जयपुर।	**बनाम**	1. बालूराम पुत्र रामनाथ(मृतक दौराने दावा) 1/1 शंकर 1/2 धोलीराम 1/3 आनन्दी लाल पुत्रान स्व. कालूराम 1/4 मु. लक्ष्मा बेवा कालूराम 2. छाजूराम पुत्र रामनाथ(मृतक दौराने दावा) 2/1 कजोडमल पुत्र छाजूराम 2/2 रुकमणी देवी पत्नि छाजूराम समस्त जाति मीणा निवासी झर तह. बस्सी। 2/3 रामपति पत्नि राजेन्द्र कुमार पुत्री स्व. छाजूराम 2/4 सीमादेवी पत्नि मेवाराम पुत्री स्व. छाजूराम 3. उपपंजीयक बस्सी। 4. तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 257/16, 49/17 दिनांक 27.03.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 22.08.2015 को प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब वादीगण द्वारा दिनांक 9.10.2017 को प्रस्तुत किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से यह कथन रहा कि वादीगण का वाद पत्र जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 की धारा 9 व 13 के प्रावधानो के विपरित होने के कारण कानूनन चलने योग्य नही है विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी/प्रतिवादी सं 1 व 2 के कब्जे व खातेदारी की भूमि है जिसको वादीगण द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अवैधानिक रूप से अपनी पैतृक एवं कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि होना क्लेम किया गया है। जबकि जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 के प्रभाव में आने के समय प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त आराजी पर वादीगण के पूर्वजो एवं वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा और ना ही उक्त आशय का कोई अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकित है वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मिसल हकियत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और यही वादीगण के वाद का प्रमुख आधार है जबकि वाद पत्र के साथ जो मिसल हकीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उक्त मिसल हकीयत प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी से संबंधित नही है। दूसरा प्रतिवादीगण का अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी कथन रहा कि वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विपरित प्रस्तुत किया गया है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने समय अर्थात सम्वत 2012 में

Contd--2

सहायक कलक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रे
बस्सी जिला जय

प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि को वादीगण ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य एवं अवैधानिक रूप से विवादित बताया है जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज एवं वादीगण का कृषक, उपकृषक व खातेदारो के रूप में कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण का वाद इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण का यह कथन भी रहा कि वादीगण का वाद खातेदारी हको की घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद है जबकि न तो उक्त आराजी पर पूर्व में कभी भी वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का कोई कब्जा काश्त रहा है और ना ही दावा दायरी के समय वादीगण का उक्त विवादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त है और कब्जे के अभाव में वाद घोषणा खातेदारी अधिकार किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण का अपने वाद पत्र में दिनांक 27.03.2013 की घटना का भी उल्लेख किया गया है। केवल कपोल कल्पित उल्लेख किया गया है उसका वास्तविकता एवं कानूनी रूप से कोई वाद कारण वादीगण को उत्पन्न नही हुआ है और वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादीगण का अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी कथन रहा कि प्रतिवादीगण 1 व 2 के पक्ष मे तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तकरण संख्या 359 को तस्दीक कर जो आदेश अतिरिक्त कलेक्टर दौसा के आदेश की पालना में पत्रावली पर जॉच कर पारित किया गया था उक्त नामान्तकरण संख्या 359 को वादीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नही करवाया है उक्त नामान्तकरण संख्या 359 का अमल कर ही राजस्व कर्मचारियो ने प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम पैतृक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि के आधार पर दर्ज किया है वादीगण का वाद इस आधार पर भी चलने योग्य नही है उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण का यह भी कथन रहा कि कन्सोलीडेशन एक्ट 1954 के प्रावधानो के तहत दौराने कन्सोलीडेशन की कार्यवाहियो को किसी भी राजस्व एवं सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती तथा दौराने एकीकरण प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता रामनाथ के नाम दर्ज खातेदारी रही है। तथा प्रतिवादीगण का यह भी कथन रहा कि वादीगण का निषेधाज्ञा का दावा बिना हक व अधिकार प्रस्तुत किया गया है तथा कब्जे के अभाव में वादीगण का पोषणीय है उक्त वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वादीगण का कथन रहा कि वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के पैतृक भूमि में अपने हक व अधिकारो की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसके खातेदार रामदेव पुत्र नन्दा थे वादीगण एवं प्रतिवादीगण रामदेव के उत्तराधिकारी है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा 4/5 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/5 है और इसी अनुसार पूर्वजो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण का यह कथन कि वादीगण एवं उनके पूर्वजो का कोई कब्जा काश्त नही रहा गलत है विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त तथ्य को केवल वाद की साक्ष्य के दौरान ही साबित किया जा सकता है तथा मिसल हकीयत बन्दोबस्त 1987 एक पब्लिक डॉक्यूमेन्ट की तारीफ में आता है जिसे बिना साक्ष्य से साबित कराये ही प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य मे ग्राहय है तथा मिसल हकीयत एक राजस्व अभिलेख है तथा वादीगण का यह कथन रहा कि उक्त आराजी चुकि वादीगण के पूर्वज रामदेव पुत्र नन्दा के कब्जे व खातेदारी की भूमि थी लेकिन प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता रामनाथ जो परिवार का सबसे बडा कर्ताखानदान था उसके नाम ही पर्चा जारी हो गया जबकि वादग्रस्त भूमि भौरा के चार अन्य पुत्र रामप्रताप, हणुता, झूंथा, रघुनाथ व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता रामनाथ के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात

Contd--3

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

1/5–1/5 हिस्से के अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। तथा वादीगण का अपने जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी कथन रहा कि विवादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजो के समय से ही खुदकाश्त खातेदारी की भूमि वादीगण अपने पैतृक भूमि के सह खातेदार होने की घोषणा करना के लिए उक्त वाद लाये है। जिसके कि वे कानूनी अधिकारी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत गलत जारी किये गये बन्दोबस्त के पर्चे को निरस्त किया जा सकता है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को देरी करने के गरज से प्रस्तुत किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी की परिधि मे नही आता है इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। तथा वादीगण का जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह कथन भी रहा कि वादीगण ने अपने वाद कारण उत्पन्न होने का वाक्य का वर्णन वाद के मद नम्बर 11 में स्पष्ट रूप से किया है तथा वाद कारण के अभाव में किसी भी वाद को खारिज नही किया जा सकता है वाद कारण एक तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण मुकदमें में साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर ही किया जा सकता है। तथा वादीगण का प्रार्थना पत्र में यह कथन भी रहा कि प्रतिवादीगण का यह कथन तहसीदार का आदेश दिनांक 03.04.1986 व सहायक कलेक्टर का निर्णय दिनांक 05.02.1983 किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है जो आज तक इनटेक्ट है तहसीलदार को सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है गलत है। नामान्तकरण एक राजकोष संबंधी वित्तीय कार्यवाही मात्र है उक्त नामान्तकरण से किसी भी प्रकार स्वत्वत की कार्यवाहीयो को निर्धारित नही किया जा सकता है उक्त नामान्तकरण को घोषणा के वाद मे निरस्त किया जा सकता है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। तथा वादीगण का यह भी कथन रहा कि उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के हक व अधिकार निहित है तथा उक्त वाद के माध्यम से वादीगण अपनी पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि में अपने निहित हक व अधिकारो की घोषणा चाही है जो कन्सोलीडेशन एक्ट के प्रावधानो से बाधित नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही की जिसका कि वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार एक मात्र राजस्व न्यायालय को ही है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही उल्लेखित नही है कि वादी का वाद किन प्रावधानो के तहत बाधित है प्रार्थना पत्र में कही स्पष्ट नही है इस आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का यह भी कथन रहा कि वादीगण का वाद अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है वादीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त वाद के माध्यम से कब्जे का अनुतोष नही चाहा गया है। वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी का अभिधारी होने का दावा करते हुए एक घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने में कोई बाधा नही है वादीगण अपनी पैतृक कब्जे व खातेदारी की भूमि पर पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है जब वादीगण द्वारा कब्जे बाबत कोई रिलीफ क्लेम ही नही की गई है तो मियाद का प्रश्न ही पैदा नही होता एवं घोषणात्मक वाद के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई मियाद निर्धारित नही है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानो की परिधि मे नही आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

दौराने बहस प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि वादीगण का वाद मूलतः मिसल हकीयत 1987 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और उक्त वाद पत्र के साथ जो मिसल हकीयत की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है वह किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण की खातेदारी की मिसल हकीयत नही है और ना ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल या दस्तावेज अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया

Contd--4

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त मिसल हकीयत विवादग्रस्त आराजी से संबंधित हो, प्रथम दृष्टया से ही वादीगण का वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है तथा मिसल हकीयत रिकार्ड ऑफ राईटस का कोई वैधानिक दस्तावेज नही है प्रतिवादी के अधिवक्ता का दौराने बहस यह भी कथन रहा कि वादीगण का वाद जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 की धारा 9 व 13 के तहत कानूनन चलने योग्य नही है तथा वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विपरीत पेश किया गया है और ना ही वादीगण को विरूद्व प्रतिवादीगण कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तथा नामान्तकरण संख्या 359 प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक हुआ है और उसी का अमल राजस्व जमाबंदी में हो रखा है जिसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा निरस्त नही करवाया गया है। तथा वादी का वाद कन्सोलीडेशन एक्ट 1954 के प्रावधानो के तहत कानूनी चलने योग्य नही है विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के लिए वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त होना आवश्यक है। उक्त वाद बिना किसी वैधानिक दस्तावेजो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा सरासर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 का यह कथन रहा कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा निम्न दृष्टान्त अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत किये गयेः–

आर.बी.जे. 2016 पेज–553 राज.उच्च न्यायालय,
आर.बी.जे.2014 पेज–1 राजस्व मण्डल, राजस्थान
आर.बी.जे.2003 पेज–73 सुप्रीम कोर्ट
आर.बी.जे.2016 पेज–514 सुप्रीम कोर्ट
आर.आर.डी. 1997 पेज 98 राजस्व मण्डल राजस्थान
आर.जी.जे.2016 पेज 136
आर.आर.टी 2001 पेज 16 राजस्व मण्डल राजस्थान
आर.आर.टी 2003 पेज 370

वादीगण द्वारा अपने जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए दौराने बहस कथन रहा कि नामान्तकरण की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से खातेदारी हक प्राप्त नही हो सकते तथा उक्त नामान्तकरण को प्रस्तुत वाद के माध्यम से चुनौती दी गई है तथा किसी भी नामान्तकरण को घोषणा के वाद के द्वारा चुनौती दी जा सकती है तथा परिवार का कर्ताखानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 व 2 का पिता रामनाथ ने उक्त विवादग्रस्त आराजी को अपने नाम पर्चा जारी करवा लिया जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज रामदेव पुत्र नन्दा की कब्जे खातेदारी व खुदकाश्त की भूमि थी। तथा प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी का गलत विभाजन करवा लिया अपनी बहस के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत आबादी भूमि का पटटा का कथन किया तथा वादीगण का कथन रहा कि उक्त आबादी भूमि का पटटा सबके नाम समिल्लित रूप से है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नामो का उल्लेख है तथा सहायक कलेक्टर बस्सी द्वारा टी.आई. कन्फर्म किये जाने के बाबत उनका कथन किया तथा मिसल हकीयत पैतृक सम्पत्ति साबित करने का प्रमुख आधार है एवं राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया स्वप्रमाणित दस्तावेज है तथा मिसल हकीयत के आधार पर ही सेटलमेन्ट 2015 प्रभाव में लाया गया तथा बहस के दौराने धारा 114 भू–राजस्व अधिनियम तथा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी उल्लेख किया तथा उक्त प्रावधानो के अनुसार वादी का वाद पोषणीय है तथा नामान्तकरण संख्या 359 के बारे में वादीगण अधिवक्ता का कथन

Contd--5

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

रहा कि उक्त नामान्तकरण की सक्षम न्यायालय में अपील की गई थी जिसमें राजीनामा पेश होने पर नामान्तकरण संख्या 359 तहसीलदार बस्सी के समक्ष भेजा गया जिसमें पक्षकारो के 1/5–1/5 हिस्से के नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये गये। तथा मियाद के बिन्दू पर अधिवक्ता वादी का कथन रहा कि मियाद का बिन्दू तथ्यो एवं कानून का बिन्दू है जिसे केवल मात्र दस्तावेज साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जा सकता है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा मियाद का बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में उठाया गया है बेबुनियाद है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता वादी द्वारा निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये गयेः–
आर.एल.डब्ल्यू 2008 (आर.जे) पेज 812 हाईकोर्ट, 1037 , आर.एल.डब्ल्यू 2007 पार्ट–2 पेज नं 944, आर.आर.डी. 2012 पेज 69, डी.एन.जे 2016 पेज 100 व 105, आर.आर.टी 2013 पार्ट–1 पेज 188, 356, आर.एल.डब्ल्यू 2013 पार्ट–1 पेज 145 व पेज 650, आर.आर.टी 2016 पार्ट–2 पेज 1051, आर.आर.डी 2002 पेज 607, आर.बी.जे. 2004 पेज 520, डी.एन.जे. 2015 पेज 242, डी.एन.जे 2009 पार्ट–1, पेज 231, डी.एन.जे. 2013 पेज 233, डी.एन.जे 2016 पार्ट–3 पेज 1208, डी.एन.जे 2014 पेज 669, आर.बी.जे.2010 पेज 721, डी.एन.जे 2008 पेज 9

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व वाद पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के अनुसार न्यायालय को प्रमुखता से वाद पत्र का अवलोकन करना होता है। उक्त वाद पत्र वादीगण द्वारा मिसल हकीयत सम्वत 1987 के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथा उक्त मिसल हकीयत में वर्णित खसरा नम्बरान बाबत कोई ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मिसल हकीयत में वर्णित खसरा नम्बर तथा वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि समान प्रतीत होती हो तथा वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त आराजी का पर्चा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता रामनाथ के नाम जारी हुआ, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय रामनाथ ही काबिज खातेदार काश्तकार था जो प्रतिवादी सं 1 व 2 का पिता है तथा वर्तमान में उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा ना होने का कोई तथ्य पत्रावली पर मौजुद नही है वादीगण द्वारा यह स्वीकारोक्ती की गई है कि पर्चा प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम जारी हुआ जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक से आज दिनांक तक प्रतिवादीगण उक्त आराजी को निर्बाध रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण किसी भी प्रकार से यह साबित करने में विफल रहे है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण अगर काबिज है तो उसका आधार क्या है जबकि मिसल हकीयत में वर्णित खसरा नम्बरान उक्त वाद में वर्णित आराजी से किसी भी प्रकार से मिलान नही करते है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर वादीगण का किसी भी प्रकार कोई स्वत्व व कब्जा काश्त साबित नही है जबकि वादीगण का वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार वादीगण का मौके पर कब्जा होना आवश्यक है। यह पत्रावली पर स्पष्ट है कि वादीगण का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार से इन्द्राज अथवा कब्जा कृषक एवं उपकृषक व खातेदार के रूप में कभी भी प्रमाणित नही रहा है ना ही प्रमाणित है। वादीगण द्वारा नामान्तकरण संख्या 359 को भी किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवाया गया है। जहा तक विधि का प्रश्न है कि उक्त वाद कन्सोलीडेशन एक्ट 1954 के प्रावधानो से बाधित है अर्थात कन्सोलीडेशन के समय की गई कार्यवाहियो को किसी भी दावे के द्वारा चुनौती नही दी जा सकती उक्त समस्त

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--6

तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत नजीरो को ध्यान मे रखते हुए यह स्पष्ट है कि वादीगण का वाद बनावटी तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है वादीगण द्वारा वाद पत्र जिस आधार पर प्रस्तुत किया गया है वह समस्त आधार बेबुनियाद एवं दस्तावेजो से किसी भी प्रकार प्रमाणित नही है। उक्त वाद तोडमरोड कर बनावटी तथ्यो के आधार पर बिना किसी वाद कारण के विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के समस्त तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेजात से स्पष्टतय साबित है वादीगण का वाद वाद कारण के अभाव में बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर होने के कारण तथा कन्सोलीडेशन एक्ट के प्रावधानो के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमो अनुरूप नही होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.3.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. रतनलाल पुत्र रामप्रताप
2. कालूराम पुत्र रामप्रताप
3. तेजमल पुत्र हणुता
4. परमानन्द पुत्र रामकिशोर
5. रामफूल पुत्र रामकिशोर
6. दिनेश पुत्र रामकिशोर
7. पार्वती पत्नि रामकिशोर
8. जगदीश पुत्र रघुनाथ
9. श्रीबक्श पुत्र रघुनाथ
10. हनुमान पुत्र रघुनाथ
11. कैलाश पुत्र रघुनाथ(मृतक दौराने दावा)

11/1 रामवतार पुत्र स्व. कैलाश
11/2 अजय पुत्र स्व. कैलाश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता गोपी
11/3 मु. गोपी पत्नि स्व. कैलाश
11/4 सीता पुत्री स्व. कैलाश
समस्त जाति मीणा निवासी झर ढाणी धोलकी वाली, तह. बस्सी।
11/5 सन्ती पुत्री स्व. कैलाश पत्नि रामबाबू
11/6 गीता पुत्री स्व. कैलाश पत्नि रामचन्द्र
समस्त जाति मीणा निवासी दीपपुरा तह. जमवारामगढ जिला जयपुर।

बनाम

1. बालूराम पुत्र रामनाथ(मृतक दौराने दावा)

1/1 शंकर
1/2 धोलीराम
1/3 आनन्दी लाल पुत्रान स्व. कालूराम
1/4 मु. लक्ष्मा बेवा कालूराम

2. छाजूराम पुत्र रामनाथ(मृतक दौराने दावा)

2/1 कजोडमल पुत्र छाजूराम
2/2 रुकमणी देवी पत्नि छाजूराम
समस्त जाति मीणा निवासी झर तह. बस्सी।
2/3 रामपति पत्नि राजेन्द्र कुमार पुत्री स्व. छाजूराम
2/4 सीमादेवी पत्नि मेवाराम पुत्री स्व. छाजूराम

3. उपपंजीयक बस्सी।
4. तहसीलदार बस्सी।

<u>दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर 257/16, 49/17 दिनांक 27.03.2018

प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के समस्त तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेजात से स्पष्टतय साबित है वादीगण का वाद वाद कारण के अभाव में बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर होने के कारण तथा कन्सोलीडेशन एक्ट के प्रावधानो के तहत विधि द्वारा वर्जित होने के कारण तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमो अनुरूप नही होने से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। ....निजी.................मुबलिक............ ....बाबत.. ....खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.03.2018 को जारी किया गया।

मोहर दस्तख्त............................ 27.3.18

ओहदा..................................

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता			महन्ता		
वकील			वकील		
खर्चा			खर्चा		
गवाहन			गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत			बाबत		
इजराय			इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

27.3.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर